मै0 एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 44 मेगावाट की पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुकम में कृत लोक सुनवायी दिनांक 01.03.2019 समय प्रातः 11 बजे स्थान खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय मोरी, उत्तरकाशी का कार्यवृत्त।

मै0 एसजेवीएन लिमिटेड (सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड) द्वारा प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जन सुनवायी का आयोजन उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा किया गया। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना 2006 यथा संशोधित 2009 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक सुनवायी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 यथा संशोधित 2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी श्री हेमन्त कुमार वर्मा की अध्यक्षता में लोक सुनवायी का आयोजन **स्थान– खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर मोरी, जिला उत्तरकाशी, समय प्रातः 11 बजे** किया गया। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी एवं श्री एस0एस0 चौहान, वैज्ञानिक सहायक, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपस्थित थे।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोक सुनवायी के आयोजन के उद्देश्य के बारे उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहदादून को मै0 एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) का प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर 2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवायी का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवायी की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स व दैनिक जागरण के दिनांक 29.01.2019 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी मांगे गये थे। स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव है तो उनको इस लोक सुनवायी के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि आम जन के विचार, परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित है। जिसकी अनवरत विडियो रिकाडिंग एवं फोटो ग्राफी भी की जा रही है। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी। तदोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी से लोक सुनवाई आरम्भ करने की अनुमति चाही गई, जिस अनुकम में अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई आरम्भ करने की अनुमति दी गई।

इसी अनुकम में श्री जे0के0 महाजन, अपर महाप्रबन्धक, एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना (44 मेगावाट) में उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं जन समुदाय का स्वागत किया गया कि परियोजना का निर्माण भारत सरकार के उपकम मै0 एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा हैं जो कि स्थानीय निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी तथा उक्त परियोजना सूपिन नदी पर रन आफ दा रीवर परियोजना है। उक्त परियोजना में कंकीट का बैराज, एक इनटैक संरचना, दो भूमिगत डिसिल्टिंग चैम्बर, एक हेड रेस टनल, एक सीमित छिद्र प्रकार का सर्ज टैंक, प्रेशर शॉफ्ट, भूमिगत पेन स्टाक एवं सतही बिजलीघर होगा।

Scanned by CamScanner

लोक सुनवाई प्रारम्भ होते ही परियोजना प्रस्तावक के कन्सलटेंट मै0 वाप्कोस लि0 के प्रतिनिधि श्री एस0एम0 दीक्षित, अपर मुख्य अभियन्ता द्वारा परियोजना से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें उनके द्वारा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिनमें मुख्यतः परियोजना का विवरण, आधारभूत स्थिति, पुर्नःउत्थान एवं स्थानीय विकास योजना के बारे में बताया गया कि परियोजना निर्माण में कितना समय लगेगा, के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके उपरान्त स्थानीय जन प्रतिनिधि/जनता द्वारा परियोजना निर्माण से सम्बन्धित अपने विचार रखे, जो निम्नानुसार हैं–

1. **केदार सिंह पंवार, ग्राम धारा** द्वारा लोक सुनवाई के दौरान पूछा गया कि सुनवाई स्थल परियोजना क्षेत्र से 40 किमी0 दूर क्यों रखा गया? साथ ही यह भी प्रश्न किया गया कि पूरे मोरी क्षेत्र को छावनी में क्यों तब्दील किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को लोक सुनवाई में प्रतिभाग करने में असुविधा हो रही है। इसके अतिरिक्त श्री पंवार द्वारा वन कानूनों का भी मुद्दा उठाया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि यदि कोई ग्रामवासी कोई पेड़ काटता है, तो उसे दण्डित किया जाता है, परन्तु परियोजना निर्माण के दौरान अंधाधुन्ध पेड़ों की कटाई होगी, जिससे इस क्षेत्र की जलवायु परिवर्तित होगी। श्री पंवार द्वारा परियोजना निर्माण का विरोध किया गया।

2. **श्री सूरत सिंह रावत ग्राम सुनकूण्डी** द्वारा कहा गया कि लोक सुनवाई प्रभावित क्षेत्र में की जानी चाहिए थी, जिस सम्बन्ध में श्री रावत द्वारा कई बार जिलाधिकारी, उत्तरकाशी से लोक सुनवाई जखोल क्षेत्र में की जाए, का अनुरोध किया गया था। श्री रावत द्वारा यह भी मुद्दा उठाया गया कि प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को मुवाअजे के रूप में रू0 10 लाख दिया जाए।

3. **श्री अमृत नागर, ग्राम आराकोट** द्वारा बताया गया कि सिक्किम, भूटान और हिमाचल में इस तरह के कई हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे वहां की जनता का जीवन स्तर और रोजगार में वृद्धि हुई है। श्री नागर द्वारा जिला प्रशासन एवं एस0जे0वी0एन0एल0 से आग्रह किया गया कि स्थानीय लोगों को उचित मुवाअजा दिया जाए एवं परियोजना से उत्पादित बिजली प्रभावित क्षेत्र की जनता को सस्ती दरों पर उपलब्ध करायी जाए। श्री नागर द्वारा स्थानीय लोगों से अपील की, कि परियोजना निर्माण में अपना सहयोग दें।

4. **श्री कृपाल सिंह राणा, ग्राम कासला** द्वारा कहा गया कि जन सुनवाई के दौरान प्रभावित क्षेत्र के लोगों की संख्या बहुत कम है, यदि जन सुनवाई प्रभावित क्षेत्र में आयोजित की जाती तो, लोगों की संख्या अधिक होती। इसके अतिरिक्त श्री राणा द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना निर्माण एवं संचालन के समय स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। साथ ही उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि परियोजना निर्माण के दौरान मोरी क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही से सड़के क्षतिग्रस्त होगीं। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना निर्माण कार्य से पूर्व सड़कों का निर्माण कराया जाए।

5. **श्री दर्शन संह रावत, ग्राम सिरगा** द्वारा वन कानूनों का मुद्दा उठाया गया। श्री रावत द्वारा कहा गया कि परियोजना निर्माण में कई पेड़ काटे जायेंगे, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों को जानवरों के लिये चारा–पत्ती, लकड़ी आदि के लिए छूट प्रदान की जाए।

6. **श्री दुर्गेश्वर लाल, ग्राम रेक्चा** द्वारा कहा गया कि परियोजना क्षेत्र में पाँच अन्य गांव आ रहे हैं, उन्हें भी परियोजना के अन्तर्गत लिया जाये एवं प्रभावित क्षेत्र के अनुसार सुविधाऐं एवं अन्य लाभ दिये जाए। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि सांकरी क्षेत्र को वरियता दी जाए एवं प्रभावित क्षेत्रों में

Scanned by CamScanner

बिजली की दरों में छूट दी जाए। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि मोरी ब्लॉक में परियोजना मद से एक छात्रावास की स्थापना की जाए, सी0एच0सी0 मोरी में एस0जे0वी0एन0एल0 द्वारा एक अलट्रासाउंड मशीन एवं ब्लड टेस्टिंग लेबोरटरी खोली जाए एवं मोरी क्षेत्र में ट्रेफिक जाम से निजात के लिए बाईपास रोड़ का निर्माण किया जाए। श्री लाल द्वारा पूछा गया कि भूमि कटाव को रोकने के लिये परियोजना प्रस्तावक मै0 एस0जे0वी0एन0एल0 द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है।

7. **श्री मुर्ति सिंह पंवार, ग्राम धारा** द्वारा कहा गया कि परियोजना क्षेत्र विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है, जिसमें गोविन्द पशु विहार लगा हुआ है, जहां पर विभिन्न प्रजातियों के पशु–पक्षियों निवास करते हैं। परियोजना निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे इनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने सुझाव दिया कि परियोजना निर्माण में नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाए।

8. **श्री गुलबिया लाल झिंगड़ाटा, ग्राम पेंसर** द्वारा कहा गया कि सुनवाई प्रभावित क्षेत्र में की जानी चाहिए थी। परियोजना निर्माण से पूर्व सड़कों का निर्माण किया जाए, ब्लास्टिंग कम की जाए जिससे घरों में दरारें न आने पाये तथा ग्रामवासियों को रोजगार देने की बात कही गई।

9. **श्री बलवीर सिंह राणा, ग्राम लिवाड़ी** द्वारा स्थानीय लोगों को परियोजना निर्माण से मिलने वाले लाभ जैसे–शिक्षा के स्तर में सुधार, रोजगार बढ़ने की सम्भावना के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया गया कि प्रभावित क्षेत्र के जो लोग परियोजना के विरोध में बोल रहे हैं, जिला प्रशासन एवं परियोजना प्रस्तावक उनसे वार्ता कर उनकी सहमति भी लें।

10. **श्री लायबर सिंह, ग्राम सुनकुण्डी** द्वारा अवगत कराया गया कि विगत् कई पीढ़ियों से वह जिस जमीन पर काबिज हैं, किन्तु जमीन उनके नाम रजिस्ट्रड नहीं है, वह जमीन परियोजना को स्थानान्तित हो गई तो उनके मुवाअजे के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी।

11. **श्री प्रहलाद सिंह, ग्राम धारा** द्वारा कहा गया कि पूर्व में परियोजना से सम्बन्धित जन सुनवाई निरस्त हुई थी, उसका मुख्य कारण यह था कि स्थानीय लोगों को विश्वास में न लेकर जन सुनवाई की गई। वर्तमान में भी लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया। साथ ही उनका सुझाव था कि जो भी परियोजना से सम्बन्धित दस्तावेजों को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया जाए, जिससे लोगों की समझ में आ सके कि परियोजना निर्माण में स्थानीय लोगों को क्या लाभ एवं हानि होगी।

12. **श्री हरिमोहन रांगण, ग्राम गैच्चवाण गांव द्वारा नैटवाड़** गांव की समस्या रखी एवं सुझाव दिया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए एवं मकानों में पड़ रही दरारों के सम्बन्ध में एक संयुक्त सर्वे करा कर उसका सत्यापन किया जाए एवं स्थानीय लोगों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति की जाए।

13. **श्री ऋषिराम, गांव पांवतल्ला** द्वारा बताया गया कि एस0जे0वी0एन0एल0 की सुरंग निर्माण के दौरान उनके सेब के बाग प्रभावित हो रहे हैं, जिस कारण उनके 500 से 600 पेड़ सूख गये हैं, जिसका मुवाअजा दिया जाये। उन्होंने सुझाव दिया गया कि ब्लास्टिंग कम से कम की जाए।

14. **श्रीमति चन्दी देवी, ग्राम नैटवाड़** द्वारा सुझाव दिया गया कि राजकीय इण्टर कॉलेज, मोरी में लगभग 600 छात्र–छात्राऐं अध्ययनरत् है, जिनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि स्कूल में एस0जे0वी0एन0एल0 द्वारा स्कूल बिल्डिंग का निर्माण कराया जाए।

Scanned by CamScanner

15. **श्री जयवीर सिंह रावत, ग्राम पावंतल्ला** द्वारा सुझाव दिया गया कि वन अधिनियमों में स्थानीय लोगों को शिथिलता प्रदान की जाए, ताकि उनके हक–हबूब बरकरार रहें। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि जो चारा गाँव परियोजना से प्रभावित हैं, वहां के स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए। साथ ही यह भी परियोजना द्वारा बताया जाए कि जमीनों का अधिग्रहण किन दरों पर किया गया है।

16. **श्री सरिता देवी, ग्राम–नैटवाड़** द्वारा बताया गया कि जन सुनावाई की सूचना प्रभावित क्षेत्र को नहीं दी गयी, जिससे स्थानीय लोगों द्वारा रोष व्यक्त किया गया। उन्होनें आशंका जतायी कि परियोजना निर्माण से स्थानीय लोगों को दिक्कत होगी।

17. **श्रीमती नजरी देवी, ग्राम–नैटवाड़** द्वारा कहा गया कि हमें सरकार पर भरोसा है कि हमें उचित न्याय एवं रोजगार दिलाया जाएगा।

18. **श्री जयदेव सिंह चौहान, ग्राम–पांवमल्ला** द्वारा कहा गया कि जन सुनवाई बंद कमरे में करने का कारण तथा ग्रामवासियों के समक्ष जन सुनवाई क्यों नहीं कि जा रही है। उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि क्या परियोजना से सिर्फ वही प्रभावित होंगें जिनकी जमीन जा रही है, व अन्य लोग प्रभावित होंगें। उनके द्वारा कहा गया कि निरक्षर एवं अनभिज्ञ लोंगों के सामने अंग्रेजी की बजाय हिन्दी में वार्ता एवं कागजी कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है तथा बिना अनुमति हस्ताक्षर क्यों लिये जा रहें हैं। श्री चौहान द्वारा पूछा गया कि परियोजना निर्माण के दौरान जो पेड़ों की कटाई की जायेगी, उनकी भरपाई परियोजना द्वारा कैसे की जायेगी।

अन्त में अपर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

उपरोक्त जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त लिखित प्रत्यावेदन संलग्नक है।

1. फोटो व डी0वी0डी0)।
2. उपस्थिति पंजिका की प्रति।
3. प्रत्यावेदन–07

11/03/2019

(एस0एस0 चौहान)
वैज्ञा0 सहायक
उ0पर्या0सं0प्रदू0नियं0बोर्ड,
देहरादून

11/03/2019

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0पर्या0सं0प्रदू0नियं0बोर्ड,
देहरादून

1-3-20

(हेमन्त कुमार वर्मा)
अपर जिलाधिकारी
उत्तकाशी

Scanned by CamScanner

प्र.स.नं.

सेवामें,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जनपद – उत्तरकाशी

हाल – क्षेत्र भ्रमण वि0 ख0 मोरी जनपद – उत्तरकाशी ।

विषय – नैटवाड (थातरू बाजार), गैच्वाणगांव, देवरा, नैटवाड गांव व परियोजना से प्रभावित गांवों में हो रही क्षति तथा वेरोजगार यूवकों को रोजगार दिलाने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र सेवामें प्रेषित।

महोदय,

निवेदन है कि स0ज0वि0नि0लि0 द्वारा नैटवाड – मोरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किये जा रहे भारी विस्फोटकों से पूरे क्षेत्र में कम्पन्न होने के कारण भवनों, व्यापारिक प्रतिस्ठानो में दरारें आ रही हैं, जिससे कि भवन क्षतिग्रस्त होने की सम्भावनायें बढ़ गयी हैं। तथा विस्फोटों से बच्चे व वन्य जीव घबराये हुऐ है। परियोजना द्वारा क्षेत्रिय जनता को दिये गये आस्वासनो के अनुसार क्षेत्र के पढे–लिखे युवा बेरोजगारो को रोजगार दिया जाना था लेकिन परियोजना ने क्षेत्र के बेरोजगारो को महत्व ना देते हुए बाहरी क्षेत्र के लोगो को रोजगार दिया जा रहा है। जिस के कारण क्षेत्रवासियों में आकोश है यदि परियोजना में क्षेत्र के लोगो को रोजगार व विस्फोटको से प्रभावित हो रहे क्षेत्र के भवन स्वामियों को उचित मुआवजा व भारी विस्फोटको को बन्द नही किया गया तो क्षेत्र वासियों को आन्दोलन के लिये बाध्य होना पडेगा तथा न्यायालय की शरण भी ले सकते है।

अतः महोदय से निवेदन है कि आप क्षेत्र वासियों की उपरोक्त समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाने व प्रभावितों को मुआवजा दिलाते हुए बेरोजगार युवको को रोजगार दिलाने के लिए अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक– 12–06–2018

भवदीय
परियोजना प्रभावित क्षेत्र की जनता

कण देवता मन्दिर समिति
अध्यक्ष
राजमोहन सिंह रांगड़

प्रधान
ग्राम पंचायत गैच्वाणगाँव
विकास खण्ड मोरी, उत्तरकाशी

सदस्य
क्षेत्र पंचायत देवरा
नैटवाड
(मोरी)

Scanned by CamScanner

सेवा में

सहायक महा प्रबन्धक

सतलज जल विद्युत परियोजना नैटवाड़ मोरी

विषय: रा० इ० का० नैटवाड़ हेतु विद्यालय संसाधन के अभाव में P.T के अध्यक्ष द्वारा मांग पत्र विषयक

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि रा०इ०का० नैटवाड़ में वर्तमान 580 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है जहां पर बैठने के लिए फर्नीचर एवं शिक्षण सामग्री का अभाव है जिस हेतु मैं आपसे RAMSA के अन्तर्गत इस विद्यालय को अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने की अपेक्षा करती हूं क्योंकि यह विद्यालय सेवा क्षेत्र का एक मात्र [illegible] है जिसमें गरीब परिवारों से पढ़ने वाले छात्र/छात्राएं हैं।

अतः महोदय से सानुरोध विनम्र आग्रह है कि आप परियोजना से सम्बन्धित क्षेत्र के लिए उपलब्ध धनराशि को इस पुनीत कार्य हेतु खर्च करने की महान कृपा करें।

29-12-014

भवदीया

(अध्यक्ष)

रा०इ०का० [illegible]

सेवा मे,

परियोजना प्रमुख,
सतलुज जल विद्युत परियोजना
मोरी–नैटवाड़।

विषय–विद्यालय विकास हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मांग पत्र।

महोदय,

सविनय नम्र निवेदन है कि राजकीय इण्टर कालेज नैटवाड़,परियोजना प्रभावित क्षेत्र का प्रमुख विद्यालय है, जो वर्ष 1975 में हाईस्कूल एवं 1998 में इण्टरमीडिएट उच्चीकृत होने के पश्चात से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। यह विद्यालय विकासखण्ड का सर्वाधिक छात्र संख्या वाला विद्यालय है, यहां वर्तमान मे 521 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं।

महोदय यह विद्यालय स्वयं के नाम पर्याप्त भूमि होते हुए भी मुख्य भवन आदि आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। इन आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने में समय–समय पर एस0जे0वी0एन0 का सहयोग मिलता रहा है,जिसमें छात्र–छात्राओं हेतु शौचालय निमार्ण, बैठने हेतु दरियां व मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां आदि शामिल हैं। किन्तु आधारभूत सुविधाओं के अभाव में छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन एवं अन्य सहगामी क्रिया–कलापों के सम्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय की निम्नलिखित आधारभूत सुविधओं के निर्माण एवं उनको उपलब्ध कराने में अपना सहयोग देने की कृपा करेंगे, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत दूरस्त क्षेत्र के छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन में सुविधाएं उपलब्ध हो सके एवं प्रतिभा के धनी छात्र–छात्राओं के भविष्य निर्माण में मदद मिल सके।

मांगपत्र कमशः –1.छात्र फर्नीचर– 500 सेट।
2.कम्प्यूट –25
3.प्रोजेक्टर– 02
4.स्टॉफ फर्नीचर –20 सेट
5.प्रार्थना स्थल विस्तारीकरण हेतु दीवार 80मी0x5मी0
6.सुरक्षा दीवार/क्षतिग्रस्त प्रवेश द्वार का निर्माण।
7.खेल मैदान का निर्माण एवं खेल सामग्री।
8.जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत,पेंटिग एवं सफेदी।
9.नये कक्षा–कक्षों का निमार्ण।कक्ष– 04
10.पुस्तकालय हेतु बुक सेल्फ एवं पुस्तकें।
11 राष्ट्रीय पर्वो एवं अन्य अवसरों हेतु साउन्ड सिस्टम।

चन्द्रीदेवी
(पी0 टी0 ए0 अध्यक्षा)
शिक्षक अभिभावक संघ
रा0 इ0 का0 नैटवाड़
उत्तरकाशी

भवदीय
प्रधानाचार्य

सेवा में

श्रीमान जिला अधिकारी महोदय
जनपद उत्तरकाशी

विषय - जखोल - सांकरी जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित सहमति, जनसुनवाई आगामी परि० प्र० गाँव धारा में रखने के सम्बन्ध में प्रेषित

महोदय

निवेदन करना है कि जखोल - सांकरी जलविद्यु परियोजना निर्माण के लिए जो गाँव चिन्हित किये गये हैं उन परियोजना प्रभावित गाँवों की एक अर्ज माँग है कि हम प्रभावित गाँवों के परिवारों की एक एस० जे० वी० एन० की एक बैठक श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी की ओर से उनकी अध्यक्षता में ग्राम सभा धारा में आहुत की जाय, जिसमें हम समस्त परियोजना प्रभावित गाँव वाले अपनी मूल सम्बन्धित समस्याएं शान्तिपूर्ण ढंग से आपको अवगत करायेंगे, क्योंकि प्रत्येक भूमिधर असमर्थ

अतः आपसे प्रार्थना है कि आगामी बैठक परियोजना सम्बन्धित परियोजना प्रभावित गाँवों की लोक जनसुनवाई ग्राम सभा धारा में SJVN से करवाने के आदेश जारी करने की महान कृपा करें।

प्रधान सुमाती
ग्राम पंचायत-धारा
वि०ख०-मोरी (उत्तरकाशी)

भवदीय

हम समस्त परि० प्रभा० गाँव
धारा, सुनकुण्डी, पाँव

[signature]
28/2/019

शांति सिंह पंवार
पूर्व प्रधान धारा

सुरेन्द्र सिंह
[signature]

Scanned by CamScanner

दिनाँक 26.08

सेवामें,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
उत्तरकाशी।

विषय:— जखोल—सांकरी जल विद्युत परियोजना प्रभावित गांव धारा तहसील मोरी जिला उत्तरकाशी के विकास की जन समस्याओ को SJVN द्वारा दिलाने के सम्बन्ध में प्रेषित।

महोदय,

निवेदन करना है, कि जखोल—सांकरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित गाव धारा मूलभूत सुविधाओं एव मांगो को SJVN लि० से चाहते है ताकि परियोजना के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो जो मुख्य रूप से निम्नलिखित है:—

1. SJVN द्वारा परियोजना से प्रभावित गांव धारा को मूलभुत सुविधाओं का विकास हेतु गोद लेना।
2. परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का दर (रेट) कम से कम 7 लाख रू० प्रति नाली दिया जाय। क्योंकि गांव के ग्रामीणों की मुख्य आजीविका कृषि है।
3. भूमि पर लगे फलदार पेडों व अन्य औषधि पौधों का उचित मूल्य दिया जाय।
4. मोटर मार्ग से झाली—काली खडड तक समस्त जमीन का मुआवजा दिया दिया।
5. परियोजना से लगी कृषि भूमि के भूस्खलन व फसल क्षति आदि होने पर पूर्ण भरपायी देनी होगी।
6. परियोजना प्रभावित गांव की मूलभूत सुविधाओं जैसे मोटर मार्ग, स्वस्थ सेवा, शिक्षा व गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार आदि उपलब्ध करना है।
7. डिप्लोमा वाले युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराये।
8. परियोजना में लगने वाले वाहन आदि केवल परियोजना प्रभावित गांव से रखना होगा, बाहर से नही।

[illegible] बेरोजगारो को कम्प्यूटर आदि प्रशिक्षण देना।

क्रमशः..2

प्रधान
ग्राम पंचायत

सुरतिसिंह पंवार
पूर्व प्रधान

Scanned by CamScanner

9. निर्माण निगम/कम्पनी या कार्यदायी संस्था को प्रभावित गांव के लोगों को रोजगार दें मजदूरी आदि उपलब्ध कराना।
10. प्रभावित गांव के महिलाओं को रोजगार हेतु समूह के माध्यम से प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार उपलब्ध कराये।
11. परियोजना के निर्माण से भारी मशीनों के चलने आदि से दूषित जहरीली गैस धुये से पर्यावरण दूषित होने से इसका आम आदमी पर दूषप्रभाव हो सकता है। जिसके लिए प्रभावित गांव के रहने वाले परिवारों को जमीन के अतिरिक्त 5 लाख की धनराशि दी जाय।
12. यदि किसी प्रकार दैवी प्रकोप से कोई घटना होती है, तो उसमें परियोजना पूर्ण सहायता व सहयोग करेगें।
13. परियोजना प्रभावित गांव के परिवारों को निश्चित मानक रख कर आजीवन निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना।
14. परियोजना के सुरंग निर्माण से यदि किसी भी प्रभावित गांव के मकानों, जमीन आदि में दरारे आती है, व अन्य असर होता है तो गांव को विस्तापित किया जाय।
15. प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के जमीन का स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मौजा राशि दी जाय।
16. यदि किसी प्रकारण वंश प्रभावित गांव के किसी व्यक्ति की जमीन छूट जाती है तो उसका पुनः मौजा राशि दी जाय।
17. हमारे धर्म रीति रीवाज के पूर्वजों से चलते आ रहे शमशान घाट बंद नही किये जायेगे बल्कि उनका सौन्द्रीयकरण किया जाय।
18. प्रभावित गांव के चरान–चुगांन, बजरी आदि का प्रतिबन्ध नही किया जाय।

अतः आपसे प्रार्थना है कि हम परियोजना प्रभावित गांव धारा आदि को हमारे उपरोक्त वर्णित सभी मांगों को SJVN लि0 द्वारा दिया जाये उसके बाद हमारी परियोजना निर्माण के खिलाफ किसी प्रकार का कोई विरोध नही होगा। यदि उपरोक्त मांगें नही दी जाती है तो हम उसका कड़ा विरोध करेगें।

समस्त परियोजना प्रभावित गांव

सभी

प्रधान
ग्राम पंचायत

Scanned by CamScanner

सेवा में

श्रीमान - परियोजना प्रमुख
जखोल सांकरी जल विद्युत
परियोजना - मोरी उत्तरकाशी

विषय - ग्राम पांव तल्ला में जहां पर सुरंग टनल बनना है उसके ऊपर फल दार सेब का बगीचा है जो कि पूरा प्रभावित हो सकता है के सम्बन्ध में,

अवगत करना है कि प्रार्थी मारकन्डी सिंह ग्राम पांव तल्ला में जल विद्युत परियोजना का मैन टनल बनना है वहाँ इसके 500 मी० ऊपर प्रार्थी का फल दार सेब का बगीचा है जो कि पूरा प्रभावित होने जा रहा है क्योंकि पहले से नीचे की धरती की नमी खत्म हो रही है इसके कारण बगीचे में लगे 550 पेड़ में से 50 पेड़ सूख चुके हैं तथा कुछ पेड़ सूखने में आ रहे हैं महोदय अगर यह परियोजना चालू होती है तो यह बगीचा पूरा सूख जायेगा। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रार्थी की बगीचे का उचित मुआवजा दिलाने की मदद कृपा करें,

दिनांक
08/11/2018

मनदीप

1-3-2019
[redacted]

श्रीमान सचिव,
पर्यावरण, वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

श्रीमान सदस्य सचिव, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून,
उत्तराखंड

श्रीमान जिलाधिकारी, जिला उत्तरकाशी,
उत्तराखंड

1-3-19

संदर्भ : जखोल साकरी बांध की जल्दबाजी मे की जा रही [redacted] की जनसुनवाई स्थगित करें।

महोदय,

जखोल साकरी बांध परियोजना के संदर्भ में पूरे प्रभावित क्षेत्र को धोखे में रखा गया है। आश्वासन और वादे पुराने बांधों की तरह ही किए गए हैं। हमारे जखोल गांव मे डराने धमकाने का कार्य उपजिलाधिकारी स्तर पर किया गया है। पहली जनसुनवाई में भी यह हुआ और अब दूसरी जनसुनवाई मे भी ऐसा ही किया गया है।

- यह जनसुनवाई प्रभावित क्षेत्र से बहुत दूर मोरी ब्लॉक में रखी गई है।
- 12 जून को भी आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नही कराया गया था। जबकि हर जनसुनवाई में बांध कंपनी द्वारा साधन उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। 12 जून की जनसुनवाई में मात्र 15 दिन पहले ही
- सूचना दी गई थी। लोगों को जनसुनवाई होने तक की खबर नहीं थी। बांध कंपनी ने कंपनी सामाजिक दायित्व के अंतर्गत जो काम किए उन्हें बांध से लाभ के रूप में प्रचारित किया है।
- वन अधिकार कानून 2006 की अनापत्ति भी झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, गैर जिम्मेदार तरीके से गांव वालों से बिना किसी बैठक किए व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करके ली गई है।
- मात्र जमीनों के दाम तय करने और लोग अपनी मांगे रखें। ऐसा भ्रम फैलाकर जनसुनवाई में सभी को आने के लिए रोका गया है।
- जनसुनवाई कौन से कागजों के आधार पर हो रही है यह बात भी पूरी तरह छुपाई गई है। साफ जाहिर है कि सितंबर 2006 की अधिसूचना का आत्मिक व शाब्दिक उल्लंघन है। इसके साथ ही जैसा कि सारांश कागजातों में भी परियोजना के अत्यंत महत्वपूर्ण बुरे प्रभाव के बारे में उल्लेख तक नहीं है।
- संरक्षित गोविंद पशु विहार क्षेत्र में लगभग पौने 8 किलोमीटर लंबी सुरंग की ऊपर के गांव जखोल व अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में ना चर्चा है ना कोई प्रबंध योजना।

अन्य बिंदुवार मुद्दे:–

1– एक जहां हॉर्न बजाने पर पाबंदी है वहां विस्फोटकों से सुरंग कैसे बनाई जा रही है? क्यों बनाई जा रही है?
2– सुरंग आधारित परियोजना के दुष्प्रभावों पर कोई ध्यान कोई अध्ययन नहीं है।
3– 2010 के दशक में भागीरथी नदी पर मनेरी भाली चरण 1 से पानी छोडने के कारण कई जाने गई।
4– 2012 में अस्सी गंगा पर निर्माणाधीन 4.5 व 9 मेगा वाट की परियोजनाओं के कारण पूरी घाटी के गांव बर्बाद हुए।
5– 2010 के दशक में जेपी कंपनी द्वारा निर्मित विष्णुप्रयाग बांध की सुरंग फटने के कारण चाईं व थैंग गांव के मकानों में दरारें आई और टूटे।
6– अलकनंदा नदी पर तपोवन विष्णुगाड परियोजना से सैकड़ों मकानों में दरारें आईं। उसका कोई मुआवजा नहीं मिला।
7– भागीरथी नदी पर लोहारीनाग–पाला बांध जो की रोक दिया गया है, की सुरंग के कारण कुंजन गांव के लगभग सभी मकानों में दरारे आईं।

Scanned by CamScanner

कुमरू में धाली गंगा बांध के सर्ज शॉफ्ट व सुरंग से बाढ आने के कारण निकट के ऐला तोक गांव की बर्बादी हुई।

9– आज तक के अनुभव है कि सुरंग हेतु किए गए विस्फोटों के कारण आसपास के जल स्रोत सूख जाते हैं।

10– जिन मकानों में दरारे आती हैं वह भूकंप के समय पूरी तरह गिर जाते हैं जैसा कि विष्णुगाड पीपलकोटी योजना में हॉट गांव के हरसारी तोक में

हुआ। मनेरी भाली चरण 1 के ऊपर बसे जामक गांव की तबाही हुई।

11– सुरंग निर्माण के समय विस्फोटकों के कारण पूरे क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि मनुष्य सहित जीव जंतुओं का जीवन भी

दूभर हो जाता है।

12– गोविंद पशु विहार में जहां लोगों का हॉर्न बजाने पर भी पाबंदी है वहां इन विस्फोटकों का क्या प्रभाव होगा?

14– प्रशासन कुछ भी सांत्वना या वादा कर ले किंतु असलियत में जमीनी स्तर पर कोई निगरानी नहीं होती। परिणाम लोगों को ही झेलने पड़ते हैं।

16– यह तो कुछ उदाहरण दिए हैं जो हमें छुटपुट खबर से मिल पाये है।

17–क्या जखोल साकरी परियोजना का सुरंग निर्माण के अलावा कोई अन्य विकल्प पर विचार किया गया है?

18– क्या प्रस्तावित सुरंग के ऊपर जो अनेक जल धाराएं हैं उनका क्या होगा इस पर विचार किया गया?

उत्तराखंड में तमाम हिमालयी राज्यों में इस तरह की अनेक समस्याएं आई हैं जिनका निदान नहीं हो पाया है।

उपरोक्त समस्याओं वह संभावित खतरों पर बिना किसी गहन अध्ययन व प्रबंध योजना के आगे बढ़ना रवाई घाटी के लिए घातक सिद्ध होगा।

इसलिए नटवार मोरी बांध की जनसुनवाई में लोगों को उनकी भाषा में जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए वे समुचित रुप से अपनी बात नहीं कह पाए थे। जिसका नतीजा आज क्षेत्र भुगत रहा है। हम ऐसा इस क्षेत्र में नहीं चाहते। लोगो की भाषा में संपूर्ण कागजातो की जानकारी दी जाए तो लोग बता सकते हैं कि जखोल साकरी बांध से क्या बर्बादी आएगी?

इसलिए हम पुनः मांग करते हैं कि:–

1. यह जरूरी है कि इस तरह के गहन अध्ययनों, परियोजनाओं के विकल्पों पर चर्चा करते हुए पर्यावरण प्रभाव कागजात बनाई जाये।
2. लोगों की मांग के अनुसार उनको परियोजना संबंधित कागजात पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंध योजना व सामाजिक आकलन रिपोर्ट हिंदी में दिए जाए तथा आसान भाषा में स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समझाया जाए।
3. इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही जनसुनवाई का आयोजन प्रभावित गांव में हो।
4. लोगो को अन्य गांवों से लेने के लिए साधनों की व्यवस्था भी हो।
5. वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत प्रभावित गांवों के अधिकार सुनिश्चित किये जाएं।

Scanned by CamScanner

संगठन

उत्तरकाशी, उत्तराखंड

छाम, पथरी भाग 4, हरिद्वार उत्तराखंड 9718479517 matuganga.blogspot.com

[redacted] 1-3-2019

श्रीमान सचिव
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिर्वतन मंत्रालय
नई दिल्ली

श्रीमान सदस्य सचिव

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंवम् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

29/20, नीनि रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

श्रीमान जिलाधीश महोदय
जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड

1-3-19
<u>विषयः जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना की [redacted] को हो रही कागजी जनसुनवाई संबधी</u>

मान्यवरों जी,

- आज जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना 1 मार्च [redacted] 2019 की जनसुनवाई मे हमें यह कहना है कि सभी प्रभावित गांवों और लोगों में व्यवस्थित जानकारी नहीं गई है।
- सभी कागजात अंग्रेजी में होने के कारण लोग नहीं पढ़ सके हैं।
- हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि बांध के पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है। बिना जानकारी दिये जनसुनवाई एक धोंखा ही साबित होगी। हम 3 सितंबर 2004 को भटवाड़ी तहसील, उत्तरकाशी में हुई पाला–मनेरी बांध की जनसुनवाई से उत्तराखंड में यह बात उठाते आ रहे हैं। सरकारों द्वारा ना मानने के कारण जनता को आंदोलन और अदालतो के चक्कर लगाने पड़े है।
- यह घाटी अभी तक इन बड़ी परियोजनाओं से अछूती रही है गोविंद पशु विहार के साथ होने के कारण इसका पर्यावरण लोगों और पशुओं के जीवन पर भी सीधा असर पड़ने वाला है।
- 650 अंग्रेजी के कागजो को पढ़ना और समझना थोड़े दिन में संभव नहीं है । इस संदर्भ में हम जिलाधीश महोदय को 26 मई व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव महोदय को 28 मई को मिले हैं और यह बात उनके संज्ञान में लाई गई है। पत्र संलग्न है।
- 2006 की पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना राज्य सरकार को हिंदी में अनुवाद करने और लोगों को परियोजना के असरों को समझाने से नहीं रोकती है । यह काम राज्य सरकार को करना ही चाहिए

Scanned by CamScanner

[illegible] [illegible] सरकार को करना ही चाहिए [illegible] 2006 [illegible] अपनी टिप्पणी कर सके, जो कि [illegible]

- आज [illegible] प्रभावित लोग परेशान हैं और यह परेशानियां बढ़ने वाली है क्योंकि सुरंग की खुदाई होने पर उसके जब असर आएंगे तो फिर आंदोलन और धरने चालू होंगे।

पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंध योजना और सामाजिक आकलन रिपोर्ट को सरसरी निगाह से देखने में बहुत गंभीर खामियां सामने आती हैं हम फिर कहेंगे कि यहां हम कागजातों की पूरी खामियों को नहीं उजागर कर पाए हैं क्योंकि बहुत कम समय है। —

. परियोजना के निचले क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा इस पर कोई चर्चा नहीं ।

. जलवायु परिवर्तन पर के संबंध में इस परियोजना का आंकलन नहीं किया गया है। इस परियोजना से जलवायु परिवर्तन पर क्या असर होगा और जलवायु परिवर्तन का इस परियोजना पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी चर्चा नहीं है।

यह पीकिंग ऑपरेशन वाली परियोजना है। इसका निचले क्षेत्र में क्या असर होगा?

जैव विविधता के संदर्भ में आंकड़े पुराने है और व्यवस्थित आकलन नहीं है।

2002 जैव विविधता कानून के तहत अभी गांवों में जैव विविधता रजिस्टर भी नहीं बने है इन कारणों से जैव विविधता का पूरी तरह आकलन नहीं किया गया है।

उत्तराखंड में बांधों के टूटने का इतिहास रहा है। 2013 में बहुत बांध टूटे जिस कारण से तबाही में वृद्धि हुई। इस को ध्यान में रखते हुए भी आपदा संबंधी आकलन नहीं किया गया है।

यमुना घाटी में 30 से ज्यादा बांध परियोजनाएं प्रस्तावित निर्माणाधीन व कार्यरत हैं इन सब परियोजनाओं का आपस में एक दूसरे पर क्या असर है यह भी आंकलित नहीं किया गया है।

समाजिक आकलन रिपोर्ट भी कागजों के पुलिंदे की तरह है। इसमें जिन लोगों की जमीनें जा रही हैं, उनकी सूची तक नहीं दी गई है। उनको कितना पैसा किस आधार पर पैसा दिया जाएगा यह भी नहीं बताया गया है।

परियोजना से क्षेत्र में फायदा होगा ऐसा खूब प्रचारित है किंतु वास्तव में कितना रोजगार, कितने लोगों को रोजगार इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है।

पुनर्वास पुनर्स्थापना संबंधी एक विस्तृत नोट संलग्न है कृपया उसका संज्ञान लें।

प्रश्न यह है कि परियोजना के बारे में पूरी जानकारी क्यो नहीं दी जा रही है।

Scanned by CamScanner

...समितियों में जनहित और पर्यावरण हित में यह जरुरी है कि –

1– सभी प्रभावित गांवों और तोंको में सक्षम अधिकारी द्वारा विशेषज्ञों द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन ... योजना व सामाजिक आकलन रिपोर्ट हिंदी में उपलब्ध कराई व समझाई जाएं। ताकि प्रभावित ... मांगे सही रुप से उठा सके।

2–इस प्रक्रिया के होने के कम से कम 1 महीने बाद ही जनसुनवाई का आयोजन हो।

3– वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत तुरंत क्षेत्र में प्रक्रिया चालू हो व खासकर प्रभावित क्षेत्र के ... को पहले वन अधिकार दिएं जाएं।

4– फिलहाल जनहित में अगली सूचना तक जनसुनवाई रद्द की जाए।

राजपाल रावत, प्रह्लाद सिंह पंवार, रणवीर राणा, केसर सिंह पंवार, विमल ...

गुलाब सिंह रावत
अध्यक्ष
युवक मंगल दल जखोल
विकास खण्ड, मोरी (उत्तरकाशी)

...संबंधी विस्तृत नोट–

...वर्ष से ऊपर के व्यस्क पुत्र–पुत्रियाँ, विधवा स्त्रियों को एक परिवार मान कर सम्पूर्ण पुनर्वास व... ...ने चाहिये। अभी जो आंकड़े सरकार दे रही है वो पूरी तरह से गलत है।

2–पुर्नवास हेतू खेतीहर मजदूर को भी पूर्ण प्रभावित मानते हुये सम्पूर्ण पुनर्वास के लाभ मिलने चाहिये

3–प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ सिंचित भूमि सहित सम्पूर्ण बुनियादी सुविधायें वर्तमान गांव से बेहतर मि... चाहिये। पीने का पानी, चरागाह, पशुओं का अस्पताल, समुचित स्वास्थय सुविधा, इण्टरमीडिएट स्कूल... महाविद्यालय, कार्यशील डाकघर, बैंकिग सुविधा, सड़कें व पहुंच मार्ग, सामुदायिक भवन, वाचनालय, ... स्थल, बाजार, फ्री वाई–फाई आदि मिलना चाहिये।

4–प्रत्येक प्रभावित को उसके पुराने मकान के बराबर मकान दिया जाना चाहिये। न्यूनतम् 250 वर्ग मीटर जमीन होनी ही चाहिये।

5–प्रत्येक परिवार के पशुओं के लिये वास्तविक पशुशाला निर्माण खर्च व स्थान प्रबन्ध परियोजना को वहन करना चाहिये। जो पुर्नवास स्थल के पास ही हो।

6–प्रत्येक परिवार को मूल स्थान से पुनर्वास स्थल तक जाने के लिये सम्पूर्ण परिवहन खर्च की वास्तविक लागत वास्तविक विस्थापन के समयानुसार परियोजना वहन करे।

7–ग्रामीण कारीगरों का पुनर्वास असंभव दिखता है क्योंकि उन्हें मात्र संख्या की दृश्टि से देखा गया है। न की भविष्य की आजीविका प्रदान करने के लिये। उन्हें पूर्ण विस्थापित का दर्जा देकर पुनर्वास की सम्पूर्ण सुविधायें देनी चाहिये।

8–क्षेत्र के सभी व्यवसायों को ध्यान में रखतें हुए आजीविका को अनुदान नही वरन् पुनर्वास के नजरिये से देखते हुये। बेहतर आजीविका मिलनी चाहिये।

9–आंशिक प्रभावित गांव को पूर्ण प्रभावित मानना चाहिये। टिहरी बांध जैसी परियोजना का अनुभव यही रहा है की बांध बनने के बाद जलाशय के ऊपर के आंशिक गांव में मकानों में दरारें, भूस्खलन, भूमि धसान व जल स्रोतों के सूखने के कारण गांवों में जीवनयापन करना मुश्किल हो जाता है।

10–बाधं के किनारें रिम क्षेत्र में सघन चौड़ी पत्ती के वृक्ष लगाने चाहिये। तार–बाड़ होनी चाहिये ताकि किनारे के गांवों के मानव व पशुधन हानि ना हो। टिहरी बांध के अनुभव बताते है कि वहां अनेक मानव व पशुधन झील में डूब कर मारे गये है।

11–जलाशय बनने के कारण अगर कोई रास्ता जलमग्न हो जाते हैं। तो तुरंत उसको बनाया जाये।

12–ऊर्जा मंत्रालय की नीति के अनुसार राज्य को मिलने वाली 12 प्रतिशत बिजली पर प्रभावितों का हक

Scanned by CamScanner

...विकास के लिए सीधे खर्च हो।

...मंत्रालय की नीति 2008 के अनुसार 1 प्रतिशत बिजली स्थानीय विकास कोष स्थापित कर ...क्षेत्र के लोगो पर खर्च किया जाना चाहिये।

14—प्रत्येक विस्थापित को परियोजना के अन्त तक मुफ्त बिजली दी जाये।

15—सम्पूर्ण मुआवजा पुनर्वास, पुनर्स्थापन का कार्य एकल खिड़की द्वारा होना चाहिये।

16—भूमिअधिग्रहण की प्रकिया के बीच किसी पात्र कि मृत्यु होने पर उसके आश्रितो को पात्र माना जाए।

17—मकान के मुआवजे से पहले जमीन दी जाये—जमीन से पहले मकान का मुआवज़ा देना पूर्णतयाः गलत है। जमीन मिलने से पहले यह मुआवजा राशि खत्म हो जाती है।

18—विस्थापन के एक साल पहले सभी सुविधाओं से युक्त पुनर्वास स्थलो पर विस्थापितों को भूमि पर कब्जा दिया जाये।

19—पुनर्वास कार्य की गुणवत्ता, प्रणाली व समयबद्धता के लिये एक निगरानी समिति बननी चाहिये जिसमें प्रभावित क्षेत्र के प्रतिनिधि व देश के स्तर पर पहचाने गये मानवाधिकार कार्यकर्ता हों।

20—पुनर्वास कि एक महायोजना जिसमें सबके लिए जमीन और संसाधन की बात हो साथ ही उसकी एक कार्य योजना भी बने।

21—पुनर्वास विभाग के शिविर गांव स्तर पर लगे—ताकि ग्रामीणो के खर्च व समय दोनों की बचत हों।

22—उद्यानकृर्षि के फार्म वाली सरकारी योजनाओं में विस्थापितों को शामिल करके रोज़गार दिये जायें।

23—भूमिअधिग्रहण की प्रकिया समयबद्ध होनी चाहिये। ताकि लोगो को आर्थिक व मानासिक परेशानियां ना झेलनी पड़े।

24—स्थानीय लोगों का जंगल नदी पहाड़ से आजीविका का संबध रहा है। उसे देखते हुये पहले वन अधिकार 2006 के अंर्तगत लोगो के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिये।

25—पुनर्वास अधिकारियों की नियुक्ति तुरंत व होनी चाहिये।

26—शिकायत विभाग स्वतंत्र होना चाहिये। जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के जज हों।

27—विस्थापितों के पुनर्वास के लिए दूसरों का विस्थापन नही—एक के पुनर्वास के लिये दूसरे का विस्थापन तिक नही चूंकि विस्थापन अत्यन्त पीड़ा दायक होता है।

Scanned by CamScanner

...संगठन
उत्तरकाशी, उत्तराखंड
...ग्राम, खारी भाग 4, हरिद्वार उत्तराखंड 9718479517 matuganga.blogspot.com

19 फरवरी 2019

श्रीमान सचिव
केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिव
मंत्रालय नई दिल्ली

श्रीमान सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण
देहरादून उत्तराखण्ड

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड

विषय - जखोल सांकरी बांध की जनसुनवाई इस बार प्रभावित क्षेत्र से दूर स्थगित करें

मान्यवरो

निवेदन है 12 जून 2018 को हुई जनसुनवाई होने का कारण था कि प्रभावितो को इस बात की जानकारी नही थी कि यह जनसुनवाई का अर्थ क्या है उसके लिए कौनसे कागजात जरूरी है। और किस जगह उपलब्ध होंगे। यहां तक कि ग्राम प्रधानो को सभी कागजात मिलने के बावजूद भी भाषा बहुत बडी समस्या रही। सभी गांवो मे जनसुनवाई के पूर्व यहा पूर्व न जानकारी थी न कागजात थे जैसे कि धारा गाव मे जनसुनवाई 10 दिन पूर्व ही दिये गये थे।

सभी कागजात अंग्रेजी में होने के कारण प्रभावित लोग परियोजना के बारे में जानकारी नही रखते है इसलिए उस पर प्रतिक्रिया देना मात्र एक औपचारिकता होगी

Scanned by CamScanner

[illegible] प्रभावित क्षेत्र [illegible]

निवास [illegible] [illegible] जो यह [illegible] है [illegible] कार्यवाही

प्रभावित क्षेत्र के [illegible] जाना चाहिए।

प्रभावित क्षेत्र [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाते हैं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जा सकते हैं।

[illegible] [illegible] [illegible] के लिए [illegible]

[illegible] 10 मिलीग्राम [illegible] के [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] है, [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] आई० [illegible] [illegible] आई० [illegible] [illegible] आयोडीन

[illegible] को इनको आँखों के [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] इस [illegible] के बाद कार्यवाही का [illegible] प्रभावित

[illegible] अन्य गाँवों के लोगों [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] आई०

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9718479517

सदस्य सचिव,
पर्यावरण वन एवम जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

श्रीमान सदस्य सचिव,
उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून,
उत्तराखंड

श्रीमान जिलाधिकारी,
जिला उत्तरकाशी,
उत्तराखंड

संदर्भ: जखोल साकरी बांध की 1 मार्च, 2019 की जनसुनवाई स्थगित करें।

महोदय

आपको विदित होगा कि जखोल साकरी जल विद्युत परियोजना की जन सुनवाई 12 जून को प्रभावित लोगों ने इसीलिए स्थगित करवाई थी कि सभी कागजात अंग्रेजी में रखे गए थे और गांव में जो सम्मरी कागजात दिए गए थे भी अंग्रेजी भाषा को हिंदी लिपि में लिखा गया था।

लोगों को बांध के असर के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। बरसो से इस सुपिन नदी घाटी की सुंदर वादी को गोविंद वन्यजीव विहार में लिया गया है इस कारण यहां पर तीव्र ध्वनि तक पर पाबंदी है। ऐसी में यहां पर बांध समझ में ही नहीं आता है।

24 मई को जिलाधिकारी उत्तरकाशी को मिलकर हमने बताया था कि गावों के लोगों में भ्रम फैलाकर, गलत सूचना देकर, धमका कर तत्कालीन जिला उपजिलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर ले रहे थे।

लोगों कि किसी भी मांग पर ध्यान दिए 1 मार्च, 2019 को पुनः जनसुनवाई घोषित कर दी गई है, जो पूरी तरह अनुचित है। कपनी के दवाब में मनमानी कार्यवाही है।

परियोजना के लिए लोगों पर अनावश्यक दवाब दिया गया है। जबकि 20 लाख से ज्यादा खर्च कर बनाये गए कागजातों को लोगों की भाषा में देने और समझाने की मांग को प्रशासन ने नहीं पूरा किया है। 12 जून 2018 को हुई जनसुनवाई में भी 14 सितंबर 2005 की अधिसूचना की शब्द और आत्मा का उल्लंघन किया गया था वैसे ही इस बार भी हुआ है।

... के अनुसार उनको परियोजना संबंधित कागजात पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंध योजना व सामाजिक आकलन रिपोर्ट (EIA, EMP & SIA) ना हिंदी में दिए गए हैं ...

Scanned by CamScanner

कानून 2006 के अंतर्गत प्रभावित गांवों के अधिकार भी सुनिश्चित नहीं किये गए हैं।

जनसुनवाई प्रभावित गांवों से लगभग 40 किलोमीटर दूर मोरी ब्लॉक, सभागार में रखी गई है। जहां लोगों का पहुंचना बहुत ही कठिन है। 12 जून की जनसुनवाई में भी लोगों के लिए किसी तरह के वाहन की व्यवस्था नहीं की गई थी।

4. यह समय बर्फ का है जो कि इस तरह की सार्वजनिक लोकसुनवाई के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है।

हमारे द्वारा उठाए गए इन सवालो पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। यह बांध इस सुपिन नदी घाटी क्षेत्र के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरण की ढांचे को छिन्न-भिन्न करेगा। इसी बांध कंपनी द्वारा बनाई जा रहे नटवार मोरी परियोजना के प्रतिफल हमारे सामने दिखते हैं।

क्योंकि लोगों को उनकी भाषा में जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए वे समुचित रुप से अपनी बात नहीं कह पाए थे। जिसका नतीजा आज क्षेत्र भुगत रहा हैं। हम ऐसा इस क्षेत्र में नहीं चाहते। लोगो की भाषा में संपूर्ण कागजातो की जानकारी दी जाए तो लोग बता सकते हैं कि जखोल साकरी बांध से क्या बर्बादी आएगी?

इसलिए हम पुनः मांग करते हैं कि:-

1. लोगों की मांग के अनुसार उनको परियोजना संबंधित कागजात पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंध योजना व सामाजिक आकलन रिपोर्ट (EIA, EMP & SIA) हिंदी में दिए जाए तथा आसान भाषा मे स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समझाया जाए।

2. इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही जनसुनवाई का आयोजन प्रभावित गांव में हो।

3. लोगो को अन्य गांवों से लेने के लिए साधनों की व्यवस्था भी हो।

4. वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत प्रभावित गांवों के अधिकार सुनिश्चित किये जाएं।

हमें इस बात का पूरा आभास है की प्रशासन ने लोगों के विरोध के कारणों को न हल करके, लोगों से दूर सुरक्षा बलों के साए में जनसुनवाई करने का फैसला किया है।

बांध कंपनी व शासन भीतर जानता है कि जनसुनवाई, 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोगों के बीच जाना, उनके लिए बाध्यकारी है। इसीलिए जनसुनवाई की प्रक्रिया को किसी भी तरह पूरा करने की मंशा साफ नजर आती है। किंतु यह स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ और पर्यावरण के लिए पूरी तरह गलत होगा।

अपेक्षा है, आप हमारी मांगों पर तुरंत सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। संविधान में विश्वास मानते हुए हम उचित समय पर समुचित मंच पर भी जाएंगे।

अपेक्षा में

गुलाब सिंह रावत, रामलाल विश्वकर्मा, केसर सिंह पंवार, त्रेपन सिंह, प्रहलाद सिंह पंवार, नागदेई

रामवीर राणा, राजपाल रावत, विमल भाई

Scanned by CamScanner

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जनपद — उत्तरकाशी

माध्यम — क्षेत्र भ्रमण वि0 ख0 मोरी जनपद — उत्तरकाशी।

विषय — नैटवाड (थातरू बाजार), गैच्वाणगांव, देवरा, नैटवाड गांव परियोजना से प्रभावित गांवों में हो रही क्षति तथा बेरोजगार यूवकों को रोजगार दिलाने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र सेवामें प्रेषित।

महोदय,

निवेदन है कि स0ज0वि0नि0लि0 द्वारा नैटवाड — मोरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किये जा रहे भारी विस्फोटकों से पूरे क्षेत्र में कम्पन्न होने के कारण भवनों, व्यापारिक प्रतिस्ठानो में दरारें आ रही हैं, जिससे कि भवन क्षतिग्रस्त होने की सम्भावनायें बढ़ गयी हैं। तथा विस्फोटों से बच्चे व वन्य जीव घबराये हुऐ है। परियोजना द्वारा क्षेत्रिय जनता को दिये गये आस्वासनो के अनुसार क्षेत्र के पढ़े लिखे युवा बेरोजगारो को रोजगार दिया जाना था लेकिन परियोजना ने क्षेत्र के बेरोजगारो को महत्व ना देते हुए बाहरी क्षेत्र के लोगो को रोजगार दिया जा रहा है। जिस के कारण क्षेत्रवासियों में आक्रोश है यदि परियोजना में क्षेत्र के लोगो को रोजगार व विस्फोटको से प्रभावित हो रहे क्षेत्र के भवन स्वामियों को उचित मुआवजा व भारी विस्फोटको को बन्द नही किया गया तो क्षेत्र वासियों को आन्दोलन के लिये बाध्य होना पडेगा तथा न्यायालय की शरण भी ले सकते है।

अतः महोदय से निवेदन है कि आप क्षेत्र वासियों की उपरोक्त समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाने व प्रभावितों को मुआवजा दिलाते हुए बेरोजगार युवको को रोजगार दिलाने के लिए अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक— 12—06—2018

भवदीय
परियोजना प्रभावित क्षेत्र की जनता

कण देवता मन्दिर समिति
अध्यक्ष
राजमोहन सिंह रांगड

प्रधान
ग्राम पंचायत गैच्वाणगाँव
विकास खण्ड मोरी, उत्तरकाशी

सदस्य
क्षेत्र पंचायत देवरा
गैच्वाण गांव नैटवाड
बाजार (मोरी)

Scanned by CamScanner

... के आयोजन ...

... की उपस्थिति दिनांक 01.03.2[illegible]

क्रम सं०	नाम	गाँव का नाम/पता
1.	हेमन्त कुमार वर्मा	सहा० जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2.	अमित पोखरियाल	क्षेत्रीय अधिकारी यूई पीसीबी देहरादून
3.	एस० एस० चौहान	वैज्ञानिक सहायक यू० ई० पी० पी० सी० बी० देहरादून
4.	कीर्ती दत्त	[illegible]
5.	श्याम लाल	[illegible]
6.	Ajay Kumar	[illegible]
7.	Nitin Rawat	[illegible]
8.	Deepak Singh	[illegible]
9.	Kailash singh	ग्रा० - Bairnol
10.	इन्द्र सिंह	[illegible]
11.	काशी चौहान	[illegible]
12.	Vijma	Rani
	सुरेन्द्र सिंह	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

Scanned by CamScanner

क्र.सं.	फोन नं०	हस्ताक्षर
रजवा	9756417460 9410578626	
	9837156720	
	9719034547	
		छोटेदत्त [illegible]
	9410521559	
	7579149301	
	9417012060	
	9456710329	
	9456027179 7614420346	प्रजापति चौहान विजय
तेजपाली	9458332608	
	96756831[illegible]	

क्रम सं.	नाम	गाँव का नाम / पता
15 :	सच्चानसिंह	रमाल गाँव
16 :	मनवीरसिंह	रमेशी
17 :	मुकेश	पासरा
18 :	पलरवान	खरारा
19 :	दीपक सिंह	खोडपी
20 :	प्रभापाल	सरसौली
		नसोल
21 :	हीरलाल	
	सोनसिंह	पितगढ़
22 :		
23 :	हिरदे	जरसोल
24 :	बीरसिंह	पासेघ
25 :	गोपाल	हीमसी
26 :	विक्रमसिंह नेगी	उसालू
27 :	राजेन्द्र सिंह	वैरोली
	उमेशी	भुलेलू

Date__________

Page No.__________

फोन नं	हस्ताक्षर
7579443889	यशोदा
	रविन्द्री
9410386521	पुष्पा
9456591719	दीपिका
9411135428	[illegible]
9411597299	[illegible]
9410921032	[illegible]
9411700361	[illegible]
9411212681	[illegible]
9675378124	[illegible]
8006760377	[illegible]
7579489346	[illegible]
7579488868	Chauhan
7830007316	DIY
9410570232	[illegible]

Scanned by CamScanner

Date
Page No.

क्र.	नाम	... का नाम / पता
44-	भैयालाल	[illegible]
45.	विजय	[illegible]
46-	Smt Namlen Singh	[illegible]
47	[illegible]	बैनोल
48	रमेश कुमार	बैनोल
49.	पदमी	डाटमीड
50.	कमलादेवी	
51.	मोहन लाल	बैनोल
52.	शिशपाल	बैनोल
53.	सिंहपाल	बैनोल
54.	रतिया	बैनोल
55.	सुरत सिंह	सुनकुंडी
56	[illegible]	[illegible]
57	कमीलाल	धारा
58.	[illegible]	[illegible]

Scanned by CamScanner

Date ....

Page No. ....

	[illegible]	[illegible] का नाम / पता
[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	[illegible]	[illegible]
46 -	Shri Namlen Singh	[illegible]
47	[illegible]	बैनोल
48	[illegible]	[illegible]
49.	[illegible]	[illegible]
50.	[illegible]	
51.	मोहन लाल	बैनोल
52.	शिशपाल	बैनोल
53.	सिंहपाल	बैनोल
54.	[illegible]	बैनोल
55.	सुरत सिंह [illegible]	सुनकुंडी [illegible]
56		
57	[illegible]	धारा
[illegible]	[illegible]	[illegible]

नाम	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
	9411734662	[illegible]
	7579087756	[illegible]
	7579157476	[illegible]
	9410116428	[illegible]
	9410540770	[illegible]

Scanned by CamScanner

Date________

Page No.________

क्र सं	नाम	[illegible] का नाम /पता
59 :	[illegible]	प्रक्ष - पैठानी
60 :	बेचन लाल	मौताड़
61 :	जयपाल	मौताड़
62 :	पूरन सिंह	सल्ला
63 :	भगवदास	भणि - मौताड़
64 :	कल्पना	देवती
65 :	खेमलाल	मल्ला पौव
66 :	शीखा	देवती
67 :	देवेन्द्र	सान्द्रा
68 :	कविता	सालरा
69 :	सुवर्णा	कोटी
70 :	राजमणी	सालरा
71 :	लक्ष्मण सिंह राणा	मौताड़
72 :	शंभू	हडवाड़ी
73	विन्द्रा	नासना - मोरी

Date.
Page No.

मोबा नं	हस्ताक्षर
9411762219	[illegible]
	बाबूलाल
	जयलाल
	धर्मसिंह
	कृपाशंकर
	कल्पना
	शिवमालान
	शिखा
	[illegible]
	कविता
	[illegible]
	[illegible]
	रेनु
	[illegible]

Scanned by CamScanner

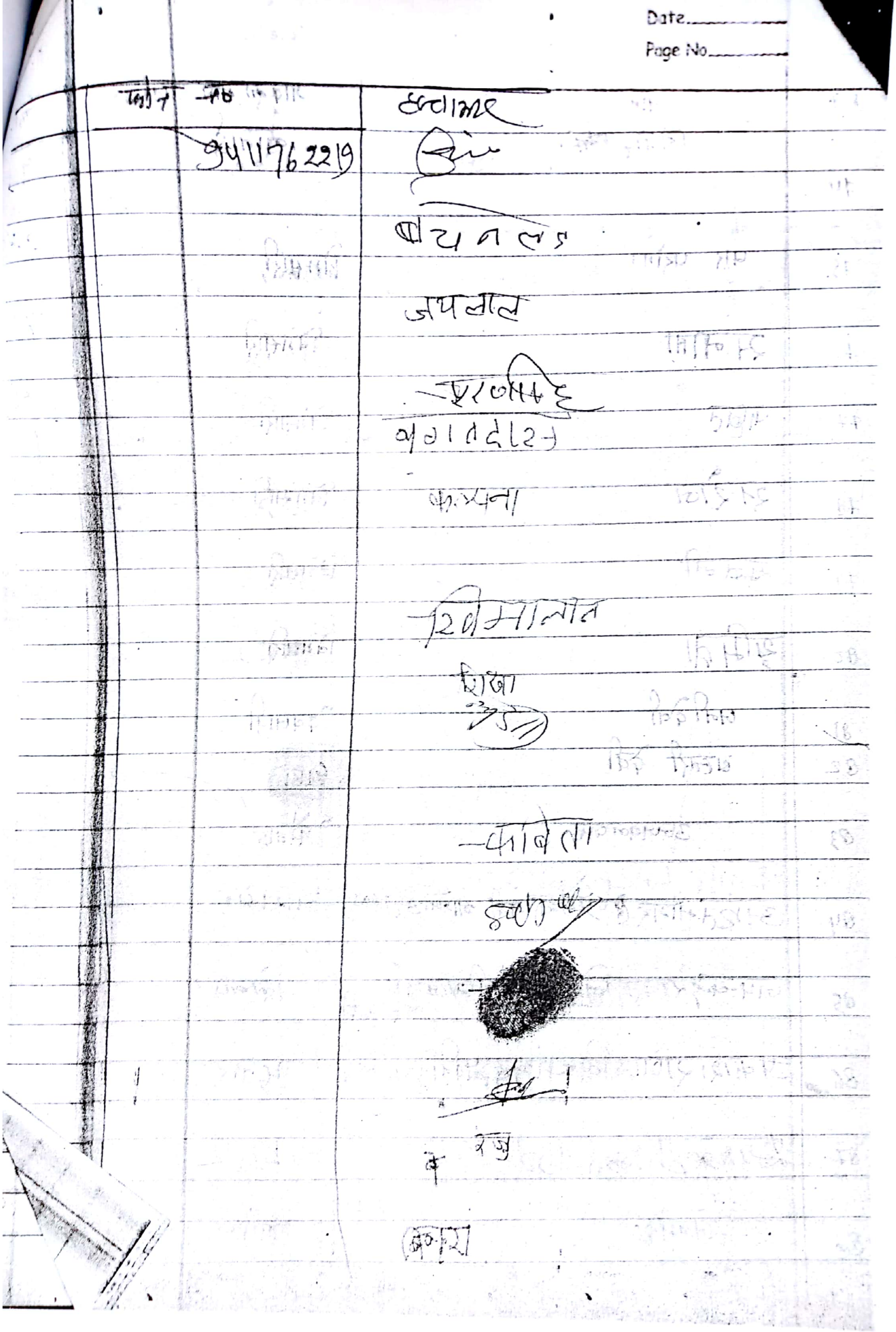

Date...............
Page No...........

क्र.सं.	नाम	गाँव का नाम / पता
	विनोद सिंह	नानाई
74		
75	जार परमित	बिनसारी
76	सुनीता	बिंगसारी
77	कवित	बिंगसारी
78	सरोज	बिंगसारी
79	सुवली	बिंगसारी
80	सुमित्रा	बिंगसारी
81	जनी देवी	देवजानी
82	बस्तरी देवी	धारा
83	उज्जवल दास	मौंताड़
84	आदित नागर प्रदेश मंत्री भाजपा उत्तराखण्ड	आराकोट
85	जयचन्द रावत जिला प्रमंत्री भाजयुमो उत्तरकाशी	लिवाड़ी
86	प्रकाश राणा विधायक प्रतिनिधि मोरी	फिताड़ी
87	Durgeshwar lal	Rekoha
88	जलमदेई	गंगाड़

Scanned by CamScanner

Date.............
Page No..........

क्र.स.	नाम	गांव का नाम/पता
89	देवकी	मोरी
90	श्रीमती खिलाफी देवी	PHC Mori
91	जयमाला	पावली
92	बीना	पौताड
93	भगतसिंह	पांवतल्ला
94	मोतीसिंह	सुनकुण्डी
95	ऋषि राम	पांव तल्ला
96	प्रतिमा	विजोती
97	मोनी	नानई
98	आनन्द	पांव
99	कृपालसिंह पंवार जगदीश सिंह	प्रधान हरिपुर ग्राम पंचायत
100		विंगसारी
101	सुधारी	
102	भगतसिंह	सुनकुण्डी
103	सुनीता	पांव
104	उमा राणा	कासल्ला
105	कालम दास	नानई

Scanned by CamScanner

पता		हस्ताक्षर	फो० नं०
		देवकी	
[illegible]		[illegible]	9410776925
		[illegible]	7579486258
		[illegible]	9410122998
[illegible]		[illegible]	9410977313
[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
[illegible]			
		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	7579194497
[illegible]		[illegible]	
[illegible]		[illegible]	9410975395
[illegible]		[illegible]	9456735832
[illegible]		[illegible]	7579020145
		[illegible]	9412935235

Scanned by CamScanner

Date.............
Page No.........

क्र.सं.	नाम	गाँव का नाम व पता
106	विजेन्द्र सिंह	सुनकुण्डी
107	दर्शनलाल [illegible]	सिरगा
108	[illegible] जोशी	नगाई
109	[illegible]	पाँव तल्ला
110	दीपराम [illegible]	[illegible] तल्ला
	ज्ञानसिंह	सिलदी
111	Jaipal Singh Rawat	Pawali
112	नरेश	[illegible]
113	नारायणी	पाँव तल्ला
114	जयसिंह	[illegible]
		काटन [illegible]
115	[signature]	
116	सायबुलाल	पाँव तल्ला
117	हाकम सिंह	पाँव तल्ला
118	कागत राम	सुनकुंडी
119	खिरमू	देवरा
120	अवतार सिंह	नानई
121	भरत सिंह	नेरबाड
122	मनोज नेगी	[illegible]
123	रमेश नौटियाल	[illegible]

Date.........
Page No.........

हस्ताक्षर	मो०
बिजेन्द्र सिंह	9411338[illegible]
[illegible]	945834316[illegible]
[illegible]	94563756[illegible]
[illegible]	7252097[illegible]
[illegible]	94[illegible]147
[illegible]	9456752[illegible]
[illegible]	941176952
नरेश	9411135[illegible]
[illegible]	9412923130
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
Hackm	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	737946284[illegible]

Scanned by CamScanner

Date..............

Page No..............

क्र० सं०	नाम	गाँव का नाम व जिला
124	बलबीर राणा	फिताड़ी
125	चन्द्री देवी	नैटवाड़
126	नजरी देवी	नैटवाड़
127	कलापती	नैटवाड़
128	सरोजन	नैटवाड़
129	सन्तोषी	नैटवाड़
130	कलादेवी	नैटवाड़
131	बबीता	नैटवाड़
132	रेखादेवी	नैटवाड़
133	हरिमोहन	बौंचवाण
134	सुरतमा	नैटवाड़
135	सरीता	नैटवाड़
136	रमेश	नैटवाड़

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर | मो० नं० | Date | Page No.

चन्द्रीदेवी

मंजू

- शान्ता पति

सुशीला

सन्तोषी

कला

बबीता

रेखा देवी

- शारदा

सईमा

-

चम्पादेवी 9411576327

has
iated
earing
ts are

ary

ay the

utes of

ormation

on Control
's web site

r Secretary